द्वितीय राउण्ड की काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

संख्या :एम0ई0–3 / 2019 / **910** दिनांक : 25.04.2019

1. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का **आवंटन / उच्चीकरण** द्वितीय मेरिट के आधार पर होगा।
2. Choice Locking और Login password एक ही है अतः Choice Locking के लिए वही Password use करें, जो Login करते समय किया था।
3. विकल्पों को भरने (Choice Filling) के उपरांत उनको Lock करना अनिवार्य है। Choice Lock न करने की स्थिति में उनको सीट आवंटन की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा
4. पहले से आवंटित (प्रवेशित) सीट का विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है। यदि नये विकल्पों के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो पुरानी आवंटित सीट Retain रहेगी।
5. नये आवंटन की दशा में पुराना आवंटित कालेज की सीट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उस पर किसी भी दशा में कोई अधिकार नहीं रहेगा।
6. यदि विकल्पों में पुराना आवंटित कालेज भरा गया और वह फिर से नये आवंटन की तरह से आवंटित हो गया, तो पुनः नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर सीट का Verification (सत्यापन) कराना पड़ेगा।
7. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में अल्पसंख्यक कालेजों की सीटें यदि रिक्त बचती हैं तो, ऐसी सीटें जनरल ओपन कटेगरी से भरी जायेंगी।
8. आल इण्डिया की समर्पित सीटों को स्टेट कोटा की सीटों में सम्मिलित करते हुए द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रदर्शित की जा रही है।
9. द्वितीय चक्र की काउसिलिंग से आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
10. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है, अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं उन्हें द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में विकल्प (Choice) भरने की आवश्यकता नहीं है।
11. SAC यह काल्पनिक सीट है, SAC (GNOP) के अन्तर्गत प्रदर्शित सीट का उददेश्य उन सीटों के सापेक्ष सभी कैटेगरी / सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों से विकल्पों को लेना है। आवंटन के समय किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है तो उसकी सीट पूर्व आवंटित (प्रवेशित) सीट के उसी कैटेगरी / सब कैटेगरी में चली जाएगी तथा नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी और अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी।

महानिदेशक